रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2005/भाद्र 9, 1927
No. 916] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2005/BHADRA 9, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2005

सं. 25 (आर ई-2005)/2004—2009

का.आ. 1217(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार नीति में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उप-पैरा 6.6(घ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

"स्कीम के तहत निर्यातोन्मुखी एककों के रूप में संस्थापना हेतु संयन्त्र और मशीनरी में एक करोड़ के न्यूनतम निवेश वाली परियोजनाओं पर ही विचार किया जायेगा। तथापि, यह ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी., हस्तशिल्प/कृषि/बागवानी/जल कृषि/पशुपालन/सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं, पीतल हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण क्षेत्रों में मौजूदा एककों पर लागू नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड, कम निवेश मानदण्ड के साथ निर्यातोन्मुखी एककों की संस्थापना की अनुमति दे सकता है।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/92/180/207/एम एम '05/पी सी-II]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2005

No. 25 (RE-2005)/2004—2009

S.O. 1217 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy, 2004—2009 :—

1. Sub-para 6.6(d) shall be amended as under :—

"Only projects having a minimum investment of Rs. 1 crore in plant and machinery shall be considered for establishment as EOUs under the Scheme. This shall, however, not apply to existing units in EHTP/STP/BTP, Handicrafts/Agriculture/Floriculture/Aquaculture/Animal Husbandry/Information Technology, Services, Brass Hardware and Handmade jewellery sectors. The Board of Approval (BOA) may allow establishment of EOUs with a lower investment criteria."

This issues in Public interest.

[F. No. 01/92/180/207/AM'05/PC-II]

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & ex officio Addl. Secy.

2599 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.